

कार्यालय,  
समिति, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2019/6323

लखनऊ दिनांक: 03-08-2019

-कार्यालय ज्ञाप-:

मा० उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका संख्या M.A. NO. 1070/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 02-06-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तावित नई संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण सम्बद्धता समिति की बैठक के मत-2 में समिति के सामूहिक विचारों पर प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"मा० उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका संख्या M.A. NO. 1070/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा ए०आई०सी०टी०ई, पी०सी०आई० एवं परिषद से संबंधित समस्त मानकों को सत्र 2020-21 के प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें, एवं इस संबंध में संस्थाओं से समयपत्र प्राप्त कर लिया जाए कि परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि ए०आई०सी०टी०ई/पी०सी०आई०/परिषद के मानकों/उपकरणों एवं साज-सज्जा में यदि कोई कमी पायी जाती है तो परिषद द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी, जिससे संस्था को कोई अप्तिता नहीं होगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई/पी० सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3034	ए०आई०सी०टी०ई ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस, एच०एच०एच० न्यायिक रोड, अम्बालाई डी०सी	डिप्लोमा इन फार्मेसी	80	50

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई/पी०सी०आई०/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सहाय्य द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनआदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनता लागू होगी।

Principal

SR College of Pharmaceutical Science

Scanned by CamScanner



- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बन्ध दिया जाने) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० एवं पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि ए०आई०सी०टी०ई० एवं पी०सी०आई० नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अस्फल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई न्याय दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैकिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कर्मीघर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार मिश्र)  
सचिव

पृ०सं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2019/6324-6368

तारीख दिनांक: 03-08-2019

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, ए०आई०सी०टी०ई० कॉलेज ऑफ फार्मस्यूटिकल साइंस, ए०आई०सी०टी०ई०  
रोड, अम्बाबाई, झौंसी।



Principal

SR College of Pharmaceutical Science  
AMBABAI

(संजीव कुमार मिश्र)  
सचिव





**कार्यालय**

**मुख्य प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश संघनगर**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संघनगर दिनांक: 09/08/2021

**कार्यालय कार्य:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2021-22 हेतु दिल्ली में राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनगर में सम्बद्धता/सम्बद्धता विश्वार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु उपरोक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघनगर संस्थाओं को सम्बद्धता विश्वार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नवीं पर विचार करने हेतु सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विश्वार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संघनगर द्वारा सत्र 2021-22 हेतु किन्नाकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विश्वार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 3034-SR COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 16KM, GWALIOR ROAD, AMBABAI, JHANSI-284419

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सीपीटीआई०/बी०पी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सीपीटीआई०/बी०पी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेन्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निरंतरण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर आदान-प्रदान द्वारा निगत किये जाने वाले शासन-देश प्रकाशों, और नवदुधार कार्यक्रमों किया जाने आवश्यक होगा। फीर निरंतरण समिति द्वारा एक्ट सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस को नवीनतम रहे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समिति तथा उ० प्राविधिक संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) दिनांकवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समूह प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीपीटीआई हेतु जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

  
 Principal  
 SR College of Pharmaceutical Sciences  
 JHANSI

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पुसं०- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

**प्रतिलिपि-**

प्रधानाचार्य/निदेशक SR COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 16KM, GWALIOR ROAD, AMBABAI, JHANSI-284419

  
 Principal  
 SR College of Pharmaceutical Sciences  
 JHANSI

